



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी, 2024
(29 पौष, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या सांका०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2024, दिनांक 19 जनवरी, 2024— हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा (संशोधन) नियम, 2024.	61-69
भाग-IV	शुद्धि पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन शुद्धि पर्वी संख्या 87 रुल्ज/II डी०4, दिनांक 11-01-2024.	1-4

भाग-III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जनवरी, 2024

संख्या सांका०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा नियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा नियम, 1986 में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे,--

- I. (i) क्रम संख्या 1 तथा 2 के सामने, मद (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

3	4
“(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां प्वाइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री;	(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री;”;

- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने, मद (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

3	4
“(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री;	(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री;”;

- (iii) क्रम संख्या 4 के सामने, मद (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

3	4
“(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री;	(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री;”;

- (iv) क्रम संख्या 5 के सामने, मद (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

<p>अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर निशक्तता;</p> <p>(घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;</p> <p>(ड.) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहा प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और किसी रियायत अंक प्रक्रिया को शामिल किए बिना केवल अर्हता अंको के आधार पर उपरोक्त वर्णित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय है;</p>	<p>अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर निशक्तता;</p> <p>(घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;</p> <p>(ड.) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहा प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और किसी रियायत अंक प्रक्रिया को शामिल किए बिना केवल अर्हता अंको के आधार पर उपरोक्त वर्णित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय है;”;</p>
--	--

(आ) मद (ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

3	4
<p>“(ग) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा जैसे एसएलईटी/एसईटी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/एसएलईटी/एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:</p> <p>परन्तु 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-</p> <p>(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री केवल नियमित ढंग से प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;</p> <p>(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;</p>	<p>(ग) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा जैसे एसएलईटी/एसईटी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/एसएलईटी/एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:</p> <p>परन्तु 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-</p> <p>(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री केवल नियमित ढंग से प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;</p> <p>(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;</p>

<p>(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जरनल में प्रकाशित हुआ हो;</p> <p>(ङ.) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा किसी समरूप एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त-पोषित/ सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;</p> <p>इन शर्तों की पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।</p> <p>टिप्पण: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए भी एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि संचालित नहीं की जाती है।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) निम्नलिखित किन्हीं एक से विदेशी विश्वविद्यालय रैंकिंग (किसी भी समय) में शीर्षतम 500 रैंक वाली विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है:-</p> <p>(i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस);</p> <p>(ii) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई); अथवा</p> <p>(iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू);</p>	<p>(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जरनल में प्रकाशित हुआ हो;</p> <p>(ङ.) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा किसी समरूप एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त-पोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;</p> <p>इन शर्तों की पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।</p> <p>टिप्पण: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए भी एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि संचालित नहीं की जाती है।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) निम्नलिखित किन्हीं एक से विदेशी विश्वविद्यालय रैंकिंग (किसी भी समय) में शीर्षतम 500 रैंक वाली विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है:-</p> <p>(i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस);</p> <p>(ii) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई); अथवा</p> <p>(iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू);।”।</p>
---	---

(इ) मद (ङ) का लोप कर दिया जाएगा।

III. टिप्पण-II में, मद (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

<p>3</p> <p>“अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अवधारित करने के लिए मापदण्ड:-</p> <p>(क) अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अवधारित करने के लिए उम्मीदवार द्वारा मास्टर डिग्री तक की चार में से दो परीक्षाओं (जो मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष से निम्न की न हो) में औसतन 55 प्रतिशत अंक अथवा इनमें से दो परीक्षाओं में प्रत्येक में पृथकतः 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होने चाहिए;</p>	<p>4</p> <p>अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अवधारित करने के लिए मापदण्ड:-</p> <p>(क) अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अवधारित करने के लिए उम्मीदवार द्वारा मास्टर डिग्री तक की चार में से दो परीक्षाओं (जो मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष से निम्न की न हो) में औसतन 55 प्रतिशत अंक अथवा इनमें से दो परीक्षाओं में प्रत्येक में पृथकतः 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होने चाहिए;”।</p>
--	---

IV. टिप्पण III के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<p>3</p> <p>टिप्पण III आरक्षित प्रवर्गों की दशा में अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अवधारित करने के लिए मापदण्ड नीचे दिये गए अनुसार है:-</p>	<p>4</p> <p>टिप्पण III आरक्षित प्रवर्गों की दशा में अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अवधारित करने के लिए मापदण्ड नीचे दिये गए अनुसार है:-</p>
---	---

<p>(क) सीधी भर्ती हेतु पात्रता के प्रयोजन के लिए हरियाणा राज्य की अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों क तथा ख (असंपन्न वर्ग)/ निशक्त (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; सहित लोकोमोटर निशक्तता;</p> <p>(घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;</p> <p>(ङ.) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और किसी रियायत अंक प्रक्रिया को शामिल किए बिना केवल अर्हता अंकों के आधार पर उपरोक्त वर्णित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय है;</p>	<p>(क) सीधी भर्ती हेतु पात्रता के प्रयोजन के लिए हरियाणा राज्य की अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों क तथा ख (असंपन्न वर्ग)/ निशक्त (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; सहित लोकोमोटर निशक्तता;</p> <p>(घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;</p> <p>(ङ.) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और किसी रियायत अंक प्रक्रिया को शामिल किए बिना केवल अर्हता अंकों के आधार पर उपरोक्त वर्णित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय है।”।</p>
---	---

आनंद मोहन शरन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 19th January, 2024

No. G.S.R. 3/Const./Art. 309/2024.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Education (College Cadre) Group B Service Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Education (College Cadre) Group B Service (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Education (College Cadre) Group B Service Rules, 1986, in Appendix B, under columns 3 and 4,-

(I) (i) against serial numbers 1 and 2, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

3	4
“(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;

(ii) against serial number 3, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;
--	---

(iii) against serial number 4, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;
--	---

(iv) against serial number 5, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master’s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;
--	---

(v) against serial number 6, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Good academic record with a Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;
--	---

(vi) against serial number 7, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Good academic record with a Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;
--	---

(vii) against serial number 8, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Good academic record with a Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university;	(a) Good academic record with a Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/ allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university.”;
--	---

II After serial number 9 and entries thereagainst, under columns 3 and 4, in Note-I,-

(A) for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

3	4
“(a) A relaxation of 5% may be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Backward Classes 'A' and 'B' (Non-creamy Layer) Differently-abled (a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness of Haryana State for the purpose of eligibility for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure.	(a) A relaxation of 5% may be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Backward Classes 'A' and 'B' (Non-creamy Layer) Differently-abled (a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness of Haryana State for the purpose of eligibility for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure.”;

- (B) for item (c) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

3	4
<p>“(c) (A) The National Eligibility Test (NET) conducted by the University Grants Commission (UGC) or the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), or a similar test accredited by the UGC, like SLET /SET or who are or have been awarded a Ph.D Degree in accordance with the University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time, as the case may be exempted from NET/SLET/SET:</p> <p><i>Provided</i> the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ Colleges/ Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in regular mode; The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners; An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal; The candidate has presented at least two papers, based on his/her Ph.D. work in conferences / seminars sponsored / funded / supported by the UGC/ ICSSR/CSIR or any similar agency. <p><i>The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</i></p> <p>Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/ SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.</p>	<p>(c) (A) The National Eligibility Test (NET) conducted by the University Grants Commission (UGC) or the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), or a similar test accredited by the UGC, like SLET /SET or who are or have been awarded a Ph.D Degree in accordance with the University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time, as the case may be exempted from NET/SLET/SET:</p> <p><i>Provided</i> the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ Colleges/Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in regular mode; The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners; An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal; The candidate has presented at least two papers, based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars sponsored/funded/ supported by the UGC/ ICSSR/CSIR or any similar agency. <p><i>The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</i></p> <p>Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/ SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B) The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times</p>

OR	
(B) The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).	Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).".

(C) item (e) shall be omitted.

III In Note-II, for item (a) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

3	4
"Criteria for determining good academic record" (a) For determining good academic record a candidate should either have average of 55% marks in two of the four examination (not below Matric or equivalent) upto to Master's degree or 50 marks in each of these two examinations separately.	Criteria for determining good academic record (a) For determining good academic record a candidate should either have average of 55% marks in two of the four examination (not below Matric or equivalent) upto to Master's degree or 50 marks in each of these two examinations separately."

IV for Note-III, the following Note shall be substituted, namely:-

3	4
<u>Note-III</u> Criteria for determining good academic record in case of reserve categories is as under:- (a) Relaxation of 5% may be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Backward Classes 'A' and 'B' (Non-creamy Layer) Differently- abled (a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness of Haryana State for the purpose of assessing good academic record for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure the qualifying marks without including any grace mark procedure.	<u>Note-III</u> Criteria for determining good academic record in case of reserve categories is as under:- (a) Relaxation of 5% may be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Backward Classes 'A' and 'B' (Non-creamy Layer) Differently- abled (a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness of Haryana State for the purpose of assessing good academic record for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure the qualifying marks without including any grace mark procedure."

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.